



# नेपाल राजपत्र

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ४३ ) काठमाडौं, साउन ११ गते २०५० साल (संख्या १५)

## भाग ३

श्री ५ को सरकार

### कृषि मन्त्रालयको सूचना

कपास विकास समिति (गठन) आदेश, २०३७ को दफा ३ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त गठन आदेशको दफा ३ को उप-दफा (२) को सट्टा देहायको दफा ३ को उपदफा (२) राखी मिति २०५०।३।१५ देखि लागू हुने गरी समितिको सदस्यहरूमा थपघट तथा हेरफेर गरेको छ ।

- |   |              |
|---|--------------|
| (क) श्री ५ को सरकारले तोकेको व्यक्ति                  | - अध्यक्ष    |
| (ख) प्रतिनिधि, कृषि मन्त्रालय                         | - सदस्य      |
| (ग) प्रतिनिधि, उद्योग मन्त्रालय                       | - सदस्य      |
| (घ) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय                         | - सदस्य      |
| (ङ) प्रतिनिधि, वन मन्त्रालय                           | - सदस्य      |
| (च) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग                   | - सदस्य      |
| (छ) प्रतिनिधि, कृषि विकास विभाग                       | - सदस्य      |
| (ज) महाप्रबन्धक, ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनी  | - सदस्य      |
| (झ) महाप्रबन्धक, हेटौँडा कपडा उद्योग                  | - सदस्य      |
| (ञ) महाप्रबन्धक, बुटवल सूती धागो कारखाना              | - सदस्य      |
| (ट) अध्यक्षले तोकेको स्थानीय कपास कृषक मध्येबाट एकजना | - सदस्य      |
| (ठ) परियोजना प्रमुख, कपास विकास समिति                 | - सदस्य-सचिव |

आज्ञाले,

विन्देश्वरीप्रसाद सिन्हा

श्री ५ को सरकारको सचिव

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा मुद्रित ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।

१५६

